

# झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक:- न0नि0वि0-8/2019-72

सेवा में,

माधवी रे सीडैन्स/इम्प्रा प्राबलिक के तरफ से झारखण्ड  
श्री अजय कुमार पिता- पी. अरविनाथ कृष्ण अन्व  
फ्लॉट नं0 7/301, राष्ट्रीय बल पुल (सी) बनवलेम, अमीभांग नगर  
-गाय, जिला- कोडरमा।

चास. दिनांक 15/07/2019

विषय:- आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश न0 बी0डी0- 68/18-17 सम्बन्धित आपके आवेदन दिनांक- 28-01-2019 के सम्बन्ध में।

महाशय, आपके आवेदन दिनांक- 6048, 1461, 6682, 4482, 6573, 5807, 1211, 963, 315, 1582  
आपके आवेदन दिनांक- 28/01/2019, 28/01/2019, 28/01/2019, 28/01/2019, 28/01/2019, 28/01/2019, 28/01/2019, 28/01/2019, 28/01/2019, 28/01/2019  
अभिलेख संख्या- 2469, 1155, 3000, 1388, 1767, 1767, 265, 5427, 5429, 1386, 1924, 2381, 1938, 2341, 2287, 1942, 2374, 2003, 2001, 2295  
से निर्गत लागान रसीद वर्ष- 18-19 की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सर्वेक्षण द्वारा किये गये अनुशांसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन संबंधी बी0डी0 केश नं0- 68/18-17 के नक्शे की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।  
मौजा नं0 26 अन्तर्गत खाता नं0- 09, 10, 48, 58 प्लॉट नं0- 16, 19, 26, 27, 44 रकवा- 1317

डी0 भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसेंस अभियन्ता श्री A.K. Choudhary की देख-रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे। स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 3 (तीन) वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के वेगैर किये गये किसी भी विचलित निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा। झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय-समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।  
माडा भवन विनियमन के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वत्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है, निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्रनगत भूमि पर भुस्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य सरकार/नेशनल विल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निदेशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में कुल रू0- 25,590,907 भाग रू0- 8,53,030 का बैंक ड्रपट एवं रू0- 8,53,030 का दो पोस्ट डेटेड चेक दिनांक- 01/07/2020 एवं दिनांक- 01/07/2021 का जमा किया गया है।

स्ट्रक्चर डिजायन, सोवायल टेस्ट रिपोर्ट काम शुरू करने के पहले या 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करने पर निर्माण कार्य स्थगित करना पड़ेगा।

प्लान के निर्माण के बाद आवेदक सूचित करेंगे और अभियन्ता स्थल जाँचकर प्रतिवेदन देंगे, तत्पश्चात् ही आगे की निर्माण कार्य जारी रहेगी। साथ ही प्लम्बिंग और इलेक्ट्रीकल सम्बन्धित नक्शा भवन निर्माण के पूर्ण होते ही निश्चित रूप से जमा कर देंगे।

भविष्य में भूमि संबंधी विवाद अथवा कागजाती में कोई गलत साबित होने पर या जिले के राजस्व शाखा एवं न्यायालय द्वारा कोई अन्यथा आदेश पारित रहने/होने पर यह आदेश स्वतः रद्द समझा जायेगा एवं तदनुसार नक्शे की स्वीकृति भी स्वतः प्रभावित होगी।

कार्यपालक अभियन्ता  
नगर निवेशन विभाग,  
झमाडा, धनबाद।  
15/7/19

# झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक-न0नि0वि0-08 / 2023-08

सेवा में,

मालती रेसीडेन्सी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 के तरफ से  
डॉयरेक्टर श्री अजय कुमार, पिता श्री झरी नायक  
फ्लैट नं0-07 / 301 तृतीय तल तुलसी इनक्लेव  
अभिमन्यु नगर चास, बोकारो।

चास, दिनांक-30-10-2023

विषय: मौजा नावाडीह-26, खाता नं0-09, 10 48 एवं 58, प्लॉट नं0-16, 19, 26, 27 एवं 44,  
बी0डी0 नं0-68 / 18-19 में निर्मित भवन का पूर्णता: प्रमाण पत्र निर्गत करने संबंध में।

उपर्युक्त विषयक LTP के जांच प्रतिवेदन के आधार पर शर्त के साथ पूर्णता: प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है कि सभी उपकरणों, व्यवस्थाओं एवं संसाधनों का संधारण भविष्य में भी करते रहेंगे।



प्रबंध निदेशक,  
झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार,  
धनबाद।  
22/10/23